न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 96/2017 राजस्व अपील

1. देवनारायण पुत्र सुखचन्दा जाति गुर्जर निवासी ग्राम फर्राशपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 27.12.2016 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम देवनारायण सं0 1/2016 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री हुकम सिंह अवाना अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:– निर्णय :– दिनांकः 8.11.2017

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा भूमि खसरा नं0 959, 960, रकबा 0.11 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर सम्वत 2073 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना कोई सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बेदखली करने व 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27.12.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस नहीं मिला और न ही अपीलान्ट की तामील ही हुई है। प्रार्थी अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के पास ही उक्त गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का ने भूमि की नाप करके भी नही बताया है। अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि पर ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। पटवारी हल्का ने बिना कोई सीमाज्ञान कराये झूठी रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट द्वारा किसी भी गैर मुमकिन रास्ता या सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है, यदि फिर भी उक्त भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने पर प्रार्थी का कोई कब्जा गैर मुमकिन रास्ता या चरागाह भूमि पर आता है तो प्रार्थी अपीलान्ट कब्जा छोडने को तैयार है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.12.2016 को निरस्त फरमावे।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम फर्राशपुरा तहसील सिकराय में स्थित गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नंबर 959 रकबा 0.06 है0 व खसरा नं0 960 रकबा 0.05 है0 कुल रकबा 0.11 है0 पर चबूतरा मय डोल, पक्का कमरा बिना छत निर्माण कर एवं काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय पारित कर अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करते हुये 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। किन्तु अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान व्यक्त किया गया है कि पटवारी हल्का द्वारा बिना सीमाज्ञान कराये ही रिपोर्ट पेश की गयी है। यदि अपीलान्ट का गैर मुमकिन रास्ता अथवा राजकीय भूमि पर कब्जा पाया जावे तो अपीलान्ट उक्त कब्जे को हटाने हेतु तैयार है, इस बाबत् अपीलान्ट की ओर से शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष गैर मुमकिन रास्ता अथवा अन्य राजकीय भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जाने पर अतिक्रमण को हटा लिये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा मौके पर प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान कर शपथ पत्र को सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.12.2016 निरस्त किया जाता है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का निर्णय दिनांक 27.12.2016 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 08.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा